

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

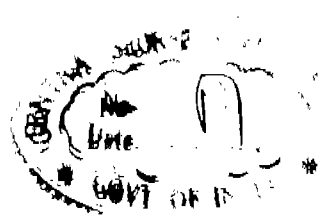
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 100]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 1976/फाल्गुन 28, 1897

No. 100]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 1976/PHALGUNA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 18th March 1976

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts anhydrous ammonia, when imported into India for use in the manufacture of Fertilisers, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon, under sub-section (1) of section 31 of the said Finance Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1976.

[No. 54/F. No. 355/67/75-Cus.I]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

वित्त संत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1976

सा० का० नि० 238(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है निर्जल अमोनिया को, जब वह उर्वरकों के विनिर्माण में उपयोग के लिए भारत में आयातित किया जाए, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमा-शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[सं० 54/का० सं० 355/67/75-सीमा शुल्क-I]

ब० च० रस्तोगी, उप सचिव।